

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर  
कमांक एफ 21 (7) 2022-23 / विकास / प्रमुवस / 7560  
कार्यालय आदेश



दिनांक: 29/11/2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 266 (सामान्य वाद निवाद घोषणा संख्या 40) की अनुपालना में प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लव कुश वाटिका विकसित करने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4162 दिनांक 13.07.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु बजट आवंटन किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक 11335 दिनांक 25.11.2022, उप वन संरक्षक, बाडमेर के पत्रांक 8253-54 दिनांक 23.11.2022 एवं उप वन संरक्षक, झुन्झुनू के पत्रांक 24112 दिनांक 28.11.2022 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:-

(राशि रु. लाखों में)

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट	संशोधित बजट आवंटन
4406-02-112-01-01 -16 लघु निर्माण कार्य	बीकानेर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर	88.23	78.23
		उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	88.23	73.23
		उप वन संरक्षक, चूरू	88.23	73.23
		उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	88.23	73.23
	कोटा	उप वन संरक्षक, बारा	88.23	78.23
		उप वन संरक्षक, बूंदी	88.23	78.23
		उप वन संरक्षक, झालावाड़	88.23	73.23
	उदयपुर	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	88.23	73.23
	अजमेर	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	88.23	73.23
		उप वन संरक्षक, नागौर	88.23	78.23
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, जालौर	88.23	78.23
		उप वन संरक्षक, पाली	88.23	83.23
		उप वन संरक्षक, बाडमेर	88.23	143.23
	वन्यजीव जोधपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव जैसलमेर	88.23	78.23
जयपुर	उप वन संरक्षक, अलवर	0.00	50.00	
	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	0.00	50.00	
4406-02-789-04-01 -16 लघु निर्माण कार्य	अजमेर	उप वन संरक्षक, टोंक	90.90	75.90
	जयपुर	उप वन संरक्षक, अलवर	90.90	105.90
4406-02-796-02-01 -16 लघु निर्माण कार्य	उदयपुर	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	100.00	85.00
		उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	100.00	90.00
		उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	100.00	95.00
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, सिरोही	100.00	95.00
		उप वन संरक्षक, बाडमेर	0.00	35.00

- उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ ( ) 2022-23 / Bud. Ann. 40 / विकास / प्रमुवस / 4103-13 दिनांक 13.07.2022 से जारी दिशा - निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
- बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें।

(एम.के.गर्ग)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2022-23 / विकास / प्रमुखस / 756-7594

दिनांक: 29-11-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / जयपुर / अजमेर / वन्यजीव जोधपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, बीकानेर / श्रीगंगानगर / चुरू / हनुमानगढ़ / बांस / बूंदी / झालावाड़ / चित्तौड़गढ़ / नागौर / भीलवाड़ा / जालौर / बाड़मेर / वन्यजीव जैसलमेर / पाली / टोंक / अलवर / झुंझुनू / प्रतापगढ़ / डूंगरपुर / बांसवाड़ा / सिरोंही / ~~पट्टण~~ / सवाईमाधोपुर।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) / रक्षी पत्रावली।

  
(अमर सिंह गौड़वाल)  
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)  
राजस्थान, जयपुर